संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश

क्र./5/विकास/सेल–2/2020/ 68 भोपाल, दिनांक 6/2/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–मंडला, डिण्डोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी, धार, अलिराजपुर,
खरगौन, बड़वानी, होंशगाबाद, श्योपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, खंडवा,
बालाघाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं रतलाम।

**विषयः–प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" लागू करने के संबंध में।**

––0––

उपरोक्त विषय में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 10–25/2019/सत्रह/मेडि–02, भोपाल दिनांक 08.01.2020 द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/ संविदा चिकित्सक को सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता, भवन निर्माण एवं पूल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "मुख्य मंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" स्वीकृत की गई है।

1. स्वीकृत योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य 89 विकास खण्डों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 21 अति पिछडे विकास खण्डों में कार्यरत विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/संविदा चिकित्सक को रू. 40 हजार से 75 हजार तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जावेगा। इसी प्रकार 68 पिछडे विकास खण्डों में कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/संविदा चिकित्सक को रू0 30 हजार से रू0 60 हजार तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जावेगा (21 अतिपिछड़े विकास खण्ड एवं 68 पिछड़े पिछड़े विकास खण्डों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न है)।
2. "सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत प्रदेश के 20 जिलों में विस्तारित 89 अधिसूचित विकास खण्डों में स्थित स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ होने पर चिकित्सकों को नियमानुसार सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता देय होगा।

(अ) संविदा चिकित्सक

| पद | वर्तमान मानदेय प्रतिमाह (रूपयें) | सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन भत्ता (रूपयें) | | कुल मानदेय (रूपयें) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अति पिछड़े वि. ख. (21) | पिछड़े वि.ख. (68) | अति पिछड़े वि.ख. (21) | पिछड़े वि.ख. (68) |
| चिकित्सा अधिकारी | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 1,00,000 | 90,000 |
| विशेषज्ञ (डिप्लोमाधारी) | 1,00,000 | 50,000 | 40,000 | 1,50,000 | 1,40,000 |
| विशेषज्ञ (डिग्रीधारी) | 1,25,000 | 75,000 | 60,000 | 2,00,000 | 1,85,000 |

निरंतर पेज–2

developmentdhs@gmail.com

Scanned with CamScanner

(11)

(ब) नियमित चिकित्सक (राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सक)

| पद | न्यूनतम मूल वेतन (रूपयें) | सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन भत्ता (रूपयें) | | कुल वेतन (रूपयें) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अति पिछड़े वि. ख. (21) | पिछड़े वि.ख. (68) | अति पिछड़े वि.ख. (21) | पिछड़े वि.ख. (68) |
| चिकित्सा अधिकारी | 56,100 | 40,000 | 30,000 | 96,100 | 86,100 |
| विशेषज्ञ (डिप्लोमाधारी) | 67,700 | 50,000 | 40,000 | 1,17,000 | 1,07,700 |
| विशेषज्ञ (डिग्रीधारी) | 67,700 | 75,000 | 60,000 | 1,42,700 | 1,27,700 |

3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क. एफ 4–3/2017/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ नियमित चिकित्सा अधिकारियों को मूल वेतन का 25 प्रतिशत दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पदस्थ नियमित चिकित्सकों को देय दक्षता भत्ता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्तों का समायोजन सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्तों में समायोजन किया जावेगा।
4. सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता जिले के जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों को देय नहीं होगा।
5. नियमित चिकित्सा अधिकारी जिनकों कोषालय के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाता है, उन्हें पृथक–पृथक योजना मदों से भत्ते का भुगतान किया जाना होगा। जिस योजना मद से उन्हें वेतन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है उसके अतिरिक्त सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान "मांग संख्या–19, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–2210, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–5507, मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना–11 वेतन भत्ते–008 अन्य भत्ते " से किया जावेगा।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारियों का भुगतान प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद से किया जावेगा। तत्पश्चात सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता के मद में उपलब्ध राशि से प्रतिपूर्ति की जावेगी।
7. चिकित्सकों को विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराये जाने वाले शासकीय आवास से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक आने जाने के लिए पूल वाहन की व्यवस्था की जायेगी।
8. यह योजना मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 10–25/2019/सत्रह/मेडि–02, भोपाल दिनांक 08.01.2020 से लागू की गई है।

संलग्नः–पृष्ट संख्या 12

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./5/विकास/सेल–2/2020/ भोपाल, दिनांक / /2020

प्रतिलिपीः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

निरंतर पेज–3

M

developmentdhs@gmnil.com

Scanned with CamScanner